मातृत्व लाभ

एक संवैधानिक एवं कानूनी हक़

2020

एकजुट द्वारा प्रकाशित

कुल प्रति– 1000

वर्ष – नवम्बर 2019

विषय सूचि

- परिचय
- पृष्ठभूमि
- मातृत्व हक़
- भारत के संविधान में मातृत्व हक़ सम्बंधित प्रावधान
- आज़ादी के बाद सरकार द्वारा मातृत्व हक़ सुनिश्चित करने के लिए किये गए पहल
- मातृत्व हक़ को लेकर गर्भवती महिला, कमला देवी और आंगनवाड़ी सेविका के बीच संवाद
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशानिर्देष का सारांश
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन : चुनौतियाँ एवं समाधान के सुझाव

परिचय

किसी भी देश का संविधान उसका बुनियादी कानून होता है और भारत के संविधान में मातृत्व हक़ को पूर्ण रूप से, विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से, मान्यता दी गयी है। **संविधान का अनुच्छेद 42** भारतीय राज्यों को काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने का एवं प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करने का निर्देश देता है। अतः हमारा संविधान इस संकल्प को सुदृढ़ करने वाला एक मज़बूत आधार प्रस्तुत करता है कि मातृत्व हक़ एक संवैधानिक एवं कानूनी हक़ है।

भारत सरकार द्वारा, समय समय पर, मातृत्व हक़ को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल किये गए हैं जिसमें सर्वप्रथम उल्लेखनीय है **1961** में लागू किया गया **मातृत्व लाभ कानून**। इस कानून के अंतर्गत पहली बार संगठित क्षेत्र में कार्यरत भारतीय महिलाओं के मातृत्व अवकाश के हक़ को सुनिश्चित किया गया। संविधान का अनुच्छेद 42 इस कानून का मूलभूत आधार बना। कानून के स्तर पर हालांकि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत भारतीय महिलाओं के मातृत्व हक़ को सुनिश्चित करने पर ध्यान एकाग्रित नहीं किया गया, परन्तु कई योजनाओं के द्वारा इस ओर पहल की गयी।

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एन.एम.बी.एस.), **अगस्त 1995** में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अंतर्गत लागू हुई थी जिसके तहत दो जीवित जन्मों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, उन गर्भवती महिलाओं के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) घरों से हो और 19 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी हो। इस योजना का लाभ उठाने क लिए महिलाओं का संगठित या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होने को शर्त के तौर पर नहीं रखा गया। अप्रैल **2005** में इस योजना में संशोधन करके **जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.)** शुरू की गई जो सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित करने की ओर एक कदम है। इस योजना को बी.पी.एल. गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया।

उपरोक्त योजनाओं में वित्तीय सहायता का प्रावधान ज़रूर किया गया परन्तु इनका उद्देश्य क्रमशः प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर प्रसूति देखभाल के लिए न्यूनतम आर्थिक सहयोग एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना था। गर्भावस्था से प्रसव पूर्व तक उचित सेवा (आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पौष्टिक) मिलना हर महिला का बुनियादी हक़ है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं, प्रसव पूर्व जांच, पूरा आराम, भावनात्मक सहयोग, सुरक्षित प्रसव, प्रसव के बाद आराम और शिशु को स्तनपान करने के लिए काम से वैतनिक अवकाश सहित एक पूरी व्यवस्था को स्थापित करने क़ी ज़रूरत है एवं मातृत्व लाभ कानून में यह कोशिश दिखी परन्तु सिर्फ संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए।

इस दिशा में **2013** में भारतीय संसद द्वारा लागू किया गया **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून** एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके अंतर्गत पहली बार भारत कि सभी गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के मातृत्व हक़ को कानूनी रूप से सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है, चाहे वे संगठित क्षेत्र में कार्यरत हो, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो या परिवार का काम करती हो।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून[1] **/ नेशनल फूड़ सिक्यूरिटी एक्ट (एन.एफ.एस.ए.)**

10 सितंबर, 2013, से प्रभावी है एवं झारखण्ड में एन.एफ.एस.ए. का कार्यान्वयन **25 सितंबर, 2015**, में शुरू हुआ। यह कानून भारत की पिछड़ी हुई आबादी के, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के, एवं बच्चों के पोषण के अधिकार को मान्यता देता है। इस कानून के अंतर्गत वर्तमान में चल रहे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने वाले निम्लिखित चार योजनाओं को शामिल किया गया है।

- **लक्षित जन वितरण प्रणाली**[2] : कानून के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी का 75% (झारखंड में 86.48 %) और शहरी जनसंख्या का 50: (झारखण्ड में 60.20 %) आबादी को हक़दार बनाया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थि के पास अन्तोदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) या प्राईओरिटी हाउसहोल्ड् (पी.एच.) कार्ड के होने की अनिवार्यता है।

- **मध्यान्न भोजन योजना**[3] : कानून के तहत कक्षा 8 तक के अथवा छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए स्थानीय निकायों में, सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में, विद्यालयों में अवकाश के दिनों को छोड़कर, प्रत्येक दिन निःशुल्क नाश्ता एवं दोपहर का भोजन देने का प्रावधान है। इसके लिए पोषाहार मानक का भी उल्लेख किया गया है।

- **समन्वित बाल विकास योजना**[4] **(आंगनबाड़ी कार्यक्रम / आई.सी.डी.एस.) :** कानून के तहत छह माह से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों के लिए, स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से आयु की जरूरत के मुताबिक समुचित निःशुल्क भोजन देने का प्रावधान है। इसके लिए पोषाहार मानक का भी उल्लेख किया गया है।

---

1 अधिक जानकारी के लिए इस श्रंखला की प्रवेशिका, "सबके लिए खाद्य सुरक्षा", का सन्दर्भ लें ।

2 अधिक जानकारी के लिए इस श्रंखला की प्रवेशिका, "झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश", का सन्दर्भ लें।

- **मातृत्व लाभ योजना** : कानून के तहत प्रत्येक गर्भवती स्त्री और धात्री माता को कम से कम 6000 रूपए मिलने का प्रावधान है। गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात् के छह माह के दौरान स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन मिलने का प्रावधान है। इसके लिए पोषाहार मानक का भी उल्लेख किया गया है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) की घोषणा **31 दिसम्बर, 2016**, को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी जब उन्होंने कहा था कि देश भर में सभी गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.), 2013, के अनुसार है जो सरकार के लिए 6000 रुपये हर गर्भवती और धात्री माताओं को देना अनिवार्य करता है, ताकि बच्चों एवं महिलाओं को पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित हो। इससे पूर्व **2010** में सरकार द्वारा **इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)** शुरू की गयी थी जिसका उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को हो रहे मजदूरी नुकसान की भरपाई करना और उन्हें वित्तीय सहयोग प्रदान करना था परन्तु यह योजना देश के मात्र 53 जिलों में चलाई गयी जिसमें से झारखण्ड के मात्र 2 जिलें थे – सिमडेगा और पूर्वी सिंहभुम। इसी योजना का संशोधित रूप है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो की 1 जनवरी 2017 से देश भर में प्रभावी है।

अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को पी.एम.एम.वी.वाई. के तहत 5000 रुपये एवं संस्थागत प्रसव के बाद जे.एस.वाई. के तहत स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन मिलता है जिससे 6000 रूपये औसतन उनको मिलता है, जैसा कि कानून में वर्णित है।

इस प्रवेशिका में मातृत्व हक़, उपरोक्त योजनाओं की, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, विस्तृत जानकारी देने की एक कोशिश की गई है।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मातृत्व हक़ का प्रावधान – एक कदम स्वास्थ्य एवं सुरक्षित मातृत्व की ओर ।

किसी भी देश और समाज के निर्माण में महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः राज्य का कर्तव्य है कि महिलाओं और उनके हक़ और अधिकार पर विशेष ध्यान दे।

गर्भधारण से लेकर प्रसव और प्रारंभिक बाल देखरेख, बच्चों और महिलाओं के लिए जीवन का सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण अवधि/समय होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 42 में भी राज्य को मातृत्व सुरक्षा एवं बच्चों के संरक्षण और पोषण के लिए विशेष प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है, पर इन हक़ों की हमेशा समाज एवं प्रशासन द्वारा उपेक्षा की जाती रही है।

हमारे देश मे 90% महिलाएं असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं और इन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद बच्चों के प्रारंभिक पालन के लिए सरकार के तरफ से कोई सहायता या आर्थिक सहयोग नही मिलता है। इससे उनके अपने स्वास्थ्य और शिशु के जीवन पर खतरा बढ़ जाता है। इस अवस्था में पर्याप्त आराम, पोषण और अच्छा व्यवहार के लिए उनकी निर्भरता और भी बढ़ जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य गणना/नेशनल फ़ैमली हेल्थ सर्वे (एन.एफ़.एच.एस–4) ए 2015–2016, के अनुसार, झारखण्ड राज्य के कुछ आंकड़े नीचे समझने के लिए दिए गए हैं :

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य गणना (एन.एफ़.एच.एस–4), **2015–2016, के अनुसार, झारखण्ड राज्य के आंकड़े :**			
	शहरी	**ग्रामीण**	**कुल**
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य			
गर्भवती महिलाएं (आयु 15–49 वर्ष) जो एनीमिक हैं (%)	57.3	63.7	62.6
जिन माताओं की पहली तिमाही में प्रसवपूर्व जांच हुई थी (%)	70.3	47.4	52.0
जिन माताओं की कम से कम 4 प्रसवपूर्व देखभाल की गई (%)	52.0	24.7	30.3
शिशु और बाल मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)			
शिशु मृत्यु दर	34	46	44
बाल (5 वर्ष से नीचे) मृत्यु दर	38	58	54
बच्चों को खिलाने का अभ्यास और पोषण संबंधी स्थिति			
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनकी लम्बाई, उम्र के हिसाब से कम है (%)	37.7	48.0	45.3
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वज़न, लम्बाई के हिसाब से कम है (%)	26.8	29.5	29.0
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वज़न, लम्बाई के हिसाब से अतिशय कम है (%)	39.3	49.8	47.8

10 सितंबर, 2013, को हमारी संसद द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून/नेशनल फूड सिक्युरिटि एक्ट (एन.एफ़.एस.ए.) को लागू किया गया जिसके अंतर्गत पहली बार सभी गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 5000/– के मातृत्व हक़ का प्रावधान किया गया है।

इस योजना को हमारे देश में 90% महिलाएं असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद बच्चों के प्रारंभिक पालन के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु लाया गया है।

मातृत्व हक़

हम अक्सर मातृत्व लाभ या मातृत्व हक़ के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं, घोषणाओं एवं भाषणों में सुनते हैं, लेकिन यह जानना और समझना ज़रूरी है कि आखिर मातृत्व हक़ है क्या ? इसे लेकर संविधान में क्या.क्या प्रावधान हैं ? संसद द्वारा इसके लिए कौन.कौन से कानून बनाये गये हैं ? एवं इस संबंध में सरकार द्वारा क्या–क्या प्रयास किये गए हैं ?

मातृत्व हक़ क्या है?

मातृत्व हक़ हर नारी का मानवीय अधिकार है जिसे भारत के संविधान में मान्यता प्रदान किया गया है। अतः यह वह अधिकार है जो भारत की हर गर्भवती और धात्री महिलाओं को सरकार द्वारा मिलना चाहिए एवं इसे मात्र राशि लाभ, सरकारी सेवा या लाभ की तरह नहीं देखना चाहिए बल्कि संविधान के निर्देशानुसार यह प्रत्येक राज्य का कर्त्तव्य है कि इसके लिए उचित कानूनी प्रावधान करें।

मातृत्व हक़ क्यों?

माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जरूरी है कि गर्भवती महिला प्रसव के कम से कम तीन महीने पहले से किसी भी तरह का कठोर शारीरिक श्रम न करें एवं शिशु के जन्म के बाद 6 महीने तक उसे नियमित रूप से स्तनपान करवाएं। यह अतिआवश्यक एवं अनिवार्य है।

इस अवधि में एक महिला के लिए ज़रुरी है कि वह उचित ढंग से आराम करे ताकि माँ और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य और पोषण का ख्याल रखा जा सके। अतः सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि भारत के हर गर्भवती और धात्री

भारत का संविधान और मातृत्व हक़

भारत का संविधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई जगह मातृत्व हक़ के अधिकार को स्थापित करता है तथा मान्यता प्रदान करता है।

संविधान का **अनुच्छेद 21** भारतीय नागरिक को जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है जिसके अंतर्गत जीवित रहने का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ है कि मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार।

संविधान का **अनुच्छेद 41** भारतीय राज्य को अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, एवं बेकारी, बुढ़ापा बीमारी और निःशक्तता तथा ऐसे कोई अन्य आभाव की दशाओं में जन सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी प्रावधान करने के लिए अनुदेशित करता है ।

संविधान का **अनुच्छेद 42** भारतीय राज्य को मातृत्व राहत हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति कि व्यवस्था का प्रभावी प्रावधान करने के लिए अनुदेशित करता है ।

संविधान के **अनुच्छेद 47** के अनुसार जीवन स्तर एवं पोषण स्तर को ऊँचा उठाने के लिए तथा जनस्वास्थ्य का सुधार कराने की जिम्मेदारी भारतीय राज्य को सौंपा गया है ।

आज़ादी के बाद सरकार द्वारा मातृत्व हक़ को सुनिश्चित करने के लिए किये गए पहल

देश का संविधान स्पष्ट रूप से राज्य को मातृत्व अधिकार के प्रावधान को लागू करने का निर्देश देता है। अतः इस बात का मुल्यांकन जरूरी है कि सरकार ने देश के नागरिकों के लिए मातृत्व हक़ को, प्रावधानों के ज़रिये, सुनिश्चित कराने का कितना और कैसा प्रयास किया है।

मातृत्व हक़ के लिए क़ानूनी प्रावधान

मातृत्व लाभ कानून, 1961 :

संविधान में कही गई बातों पर सरकार का ध्यान देश की आज़ादी के 14 साल बाद गया जब 1961 में मातृत्व लाभ कानून लागू किया गया जिसके अनुसार संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं प्रसव के 6 हफ़्ते पहले से वैतनिक अवकाश ले सकती हैं। मूल कानून के अतंर्गत मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ़्ते है।

हालांकि 2016 में इस कानून में संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत संगठित क्षेत्र की कामगार महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 से बढ़ाकर 26 हफ़्ते कर दी गई है। अवकाश का लाभ प्रसव की संभावित तारीख से 8 हफ़्ते पहले लिया जा सकता है। अगर महिला के दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे केवल 12 हफ़्ते का ही अवकाश मिलेगा। मूल कानून में बच्चों की संख्या तय नहीं की गई थी। यह मातृत्व लाभ कानून सिर्फ संगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए लागू होता है।

देश की लगभग 90% महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं एवं प्रत्यक्ष रूप से इस कानून के दायरे से बाहर हैं।

मातृत्व हक़ के लिए योजनागत प्रावधान

जननी सुरक्षा योजना, 2005 :

जननी सुरक्षा योजना की शुरूआत अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई थी। यह योजना पूरी तरह से केंद्र समर्थित कार्यक्रम है जिसमें संस्थागत प्रसव (अस्पताल में शिशु का जन्म) को बढ़ावा देने के लिए नगद प्रोत्साहन का प्रावधान है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हर गाँव में सहिया कार्यरत है एवं राज्यों को दो समूहों में बांटा गया है – वैसे राज्य जहाँ संस्थागत प्रसव की दर 25% से कम है उसे एक समूह में रखा गया है, वैसे राज्य जहाँ संस्थागत प्रसव की दर 25% से ज्यादा है उसे दूसरे समूह में रखा गया है। झारखंड वैसे राज्यों में से है जहाँ संस्थागत प्रसव की दर 25% से कम है।

जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली राशि :

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग–अलग प्रोत्साहन राशि निर्धारित किया गया है। झारखंड में इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए 1400 रूपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह राशि 1000 रूपये हैं।

सहिया को मिलने वाली राशि :

जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सहिया को 600 रूपये की राशि मिलने का प्रावधान है : 300 रूपये की राशि प्रसव के पहले और 300

राशि 400 रूपये हैं – 200 रूपये प्रसव के पूर्व और 200 रूपये प्रसव के दौरान सहायता देने के लिए है।

जननी सुरक्षा योजना का लाभ कौन ले सकते हैं एवं किन शर्तों पर :

- विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बी.पी.एल. परिवारों की गर्भवती महिलाएं जिनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति कमज़ोर हो, इस योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव पर लाभ कि हक़दार हैं।

- इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला की आयु और बच्चों की संख्या के आधार पर कोई शर्त नहीं रखी गयी है।

- बी.पी.एल. गर्भवती महिलाएं, जो घर पर प्रसव को प्रधानता देती हैं, इस योजना के तहत प्रति प्रसव 500 रुपये की नकद सहायता की हक़दार हैं।

इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना, 2010 :

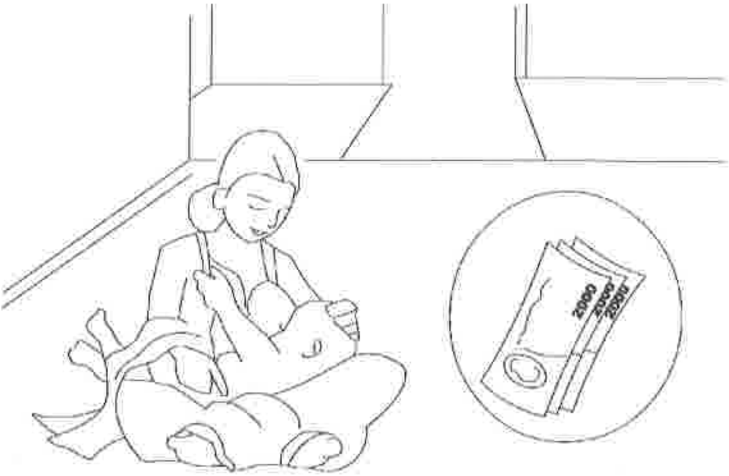

इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना केंद्र द्वारा संचालित मातृत्व लाभ कार्यक्रम था जिसकी शुरूआत 2010 में हुई। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं को हो रहे मजदूरी नुकसान की भरपाई करना और उन्हें वित्तीय सहयोग प्रदान करना था परन्तु यह योजना देश के मात्र 53 जिलो में चलाई गयी जिसमें से झारखंड के मात्र 2 जिलें थे : सिमडेगा और पूर्वी सिंहभुम।

इस योजना के तहत मातृत्व हक़ की राशि पहले दो बच्चों के लिए मिलने का प्रावधान था। शुरूआत में इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत 4000 रूपये तीन किस्तों में (दो बार 1500 रूपये और एक बार 1000 रूपये) मिलने का प्रावधान था लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एन.एफ़.एस.ए.)– 2013 में लागू होने के बाद इस योजना को एन.एफ़.एस.ए. के अतंर्गत शामिल किया गया एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से जाना जा रहा है ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एन.एफ़.एस.ए.), 2013 :

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय II के धारा 4B के तहत सभी गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को 5000 रूपये मिलने का प्रावधान है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के किसी भी नियमित पद पर कार्यरत नहीं है, एवं उसे किसी भी अन्य कानून के तहत मातृत्व लाभ नहीं मिल रहा है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को भी लाभ मिलने का प्रावधान है।

इस योजना को हमारे देश में 90% महिलाएं असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद बच्चों के प्रारंभिक पालन के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु लाया गया है।

एन.एफ़.एस.ए. के तहत मातृत्व हक़ के लिए शर्तें :

इस कानून के तहत मातृत्व हक़ की राशि का लाभ लेने के लिए 2 शर्तें रखी गयी है :

- केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार मातृत्व हक़ सिर्फ पहले जीवित बच्चे के लिए मिलेगा। यानि की दूसरे या तीसरे बच्चे के लिए यह मातृत्व हक़ की राशि नहीं मिलेगी।

- अगर कोई गर्भवती महिला या धात्री माता, जो किसी केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से कार्यरत हैं अथवा किसी भी अन्य कानून के तहत मातृत्व लाभ मिल रहा है तो उन्हें इस कानून के तहत लाभ नहीं मिलेगा।

कैसे लेना है मातृत्व हक़ की राशि:

योग्य पात्र मातृत्व हक़ की राशि तीन किस्तों में लेंगे जिसके लिए माँ और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधित शर्तों को पूरा करना होगा।

किस्त	शर्त	राशि
पहली किस्त	• गर्भवती महिला अपना पंजीकरण कराएं। • जच्चा–बच्चा कार्ड की प्राप्ति आंगनबाड़ी से होगी जिसमें गर्भवती महिला का नाम, पंजीकरण की तारीख एवं गर्भावस्था के दौरान ध्यान देने वाली आवश्यक जानकारी लिखित रहेगी। 	1000 रु.
दूसरी किस्त	• प्रसव के पहले कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच (ए.एन.सी.) (गर्भधारण के 6 महीने बाद)।	2000 रु.

	 ● ए.एन.एम. दीदी गर्भवती महिला की आंगनबाड़ी में आवश्यक जांच करेंगी और जच्चा बच्चा कार्ड में भरेंगी। ● गर्भवती महिला की जांच ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस/विलेज हेल्थ एण्ड न्युट्रीशन डे (वी.एच.एन.डी.) में अधिकांश समय होता है।	
तीसरी किस्त	● बच्चे के जन्म का पंजीकरण। ● बच्चे को बी.सी.जी., ओ.पी.वी. और हेपाटाईटिस–बी का पहले चक्र का टीका मिल गया हो (बच्चे के जन्म के छः महीने के अंदर)। ● ए.एन.एम. दीदी आंगनबाड़ी में बच्चों का आवश्यक टीकाकरण की जानकारी तारीख के साथ जच्चा बच्चा कार्ड में भरेंगी। 	**2000 रु.**

इसके अलावा लाभुकों को अतिरिक्त 1000 रुपये अस्पताल में प्रसव के बाद मिलेगा (जननी सुरक्षा योजना के तहत)। अतः औसतन एक महिला को कुल 6000 रुपये की राशि लेने का हक़ होगा।

कैसे मिलेगा मातृत्व हक़ का पैसा :

केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मातृत्व हक़ की राशि सीधे महिला के बैंक खाते में जाएगी। इसके लिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।

मातृत्व हक़ को लेकर गर्भवती महिला, कमला देवी, और आंगनबाड़ी सेविका के बीच संवाद

कमला देवी (आंगनबाड़ी में सेविका से) : जोहार दीदी! मैं गर्भवती हूँ। कृप्या बताइये कि मुझे आंगनबाड़ी से क्या–क्या सेवा मिल सकती है।

सेविका : बहुत अच्छा कमला, आओ बैठो। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि आंगनबाड़ी आयी। मैं तुम्हारा नाम गर्भवती महिलाओं के रजिस्टर में लिख देती हूँ। ऐसा करना कि तुम बुधवार को आना। बुधवार को वी.एच.एन.डी. दिवस होता है।

कमला : वी.एच.एन.डी. क्या होता है दीदी ?

सेविका : वी.एच.एन.डी. का मतलब है गाँव का स्वास्थ्य और पोषण दिवस। इस दिन ए.एन.एम. दीदी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच और टीकाकरण करती है। इसके अलावा मैं एवं सहिया दीदी भी वी.एच.एन.डी. दिवस में सेवा प्रदान करते हैं। यह मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम.सी.पी. कार्ड) रखो। इसमें तुम्हारे ए.एन.सी. जांच के बारे में लिखा जाता है और ए.एन.एम दीदी तुम्हें यह बतलायेंगी कि गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या और कैसे ध्यान रखना चाहिए। उस दिन घर ले जाने के लिए पैकेट वाला राशन भी दिया जाता है। उस दिन सामान्यतः कोई भी नयी गर्भवती महिला को मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड भी दिया जाता है और 5000 रुपये के मातृत्व हक़ के लिए उसका रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है।

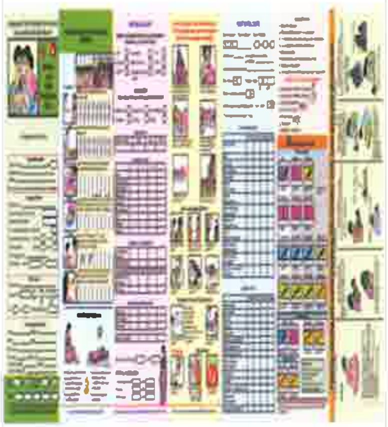

	सेविका : मातृत्व हक़ लेने के लिए यह फॉर्म भर दो। अगर यह फॉर्म स्वीकृत हो गया तो आपको 5000 रुपये का मातृत्व हक़ मिलेगा। हम आपको शर्तों और किस्तों के बारे में बतायेंगे।
	कमला : इसके लिए मुझे और क्या-क्या करना होगा दीदी ? **सेविका :** मातृत्व हक़ की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जाएगी। इसलिए आपको बैंक खाता खुलवाना होगा और खाते को आधार से जोड़ना होगा।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश का सारांश

एम.सी.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्ड :

- योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी बस्ती के आंगनबाड़ी केंद्र/सहिया/ए.एन.एम से एम.सी.पी कार्ड प्राप्त करेंगी।
- भुगतान के लिए एमण्सीण्पीण कार्ड का उपयोग शर्तों के सत्यापन के माध्यम के रूप में किया जायेगा।

एल.एम.पी. (पिछली माहवारी चक्र) तिथि से गर्भधारण की गणना :

- लाभार्थी के गर्भधारण की गणना एम.सी.पी. कार्ड (मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड) में उल्लिखित उसके पिछली माहवारी चक्र (एल.एम.पी.) की तिथि के आधार पर की जाएगी।

योजना के अंतर्गत दावे की प्रक्रिया :

दावे के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि योजना के अंतर्गत शर्तें पूरी होने तथा पूर्ण विवरण के साथ दावे की प्रस्तुति एवं पंजीकरण होने के अधिकतम 30 दिन के अंदर लाभुक के बैंक खाते में किस्तों का भुगतान हो जाए।

पंजीकरण तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को दावे की प्रस्तुति :

- मातृत्व लाभ प्राप्त करने की इच्छुक महिलाएँ आंगनबाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र में योजना के अंतगर्त पंजीकरण करायेंगी।
- पंजीकरण के लिए लाभुक स्वयं तथा अपने पति द्वारा विधिवत रुप से भरा हुआ हस्ताक्षरित वचन पत्र/सहमतिपत्र, आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ, निर्धारित आवेदन फार्म आंगनबाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जमा करेंगे।
- फार्म के साथ लाभुक योजना में आधार प्रयोग करने पर लाभुक एवं उसके पति को लिखित सहमति, अपना/पति/ परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर तथा अपना बैंक/डाकघर खाते का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा।
- फार्म आंगनबाड़ी केंद्र /अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- पंजीकरण तथा क़िस्त के दावे के लिए लाभुक निर्धारित फार्म आंगनबाड़ी केंद्र /अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जमा करेंगे।
- लाभुक को चाहिए कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका से पावती अवश्य ले लें क्योंकि इसकी बाद में जरुरत पड़ सकती है।
- पंजीकरण तथा पहले क़िस्त का दावा करने के लिए एम.सी.पी. कार्ड, लाभार्थी एवं उसके पति के पहचान के प्रमाणपत्र (दोनों का

बैंक खाते के विवरण, और सारी जानकारी के साथ भरा गया फार्म प्रस्तुत करना होगा।

- दूसरे क़िस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी को गर्भधारण के 6 माह बाद, कम से कम एक प्रसव–पूर्व जांच को दर्शाने वाले एम.सी.पी. कार्ड की फोटोकॉपी के साथ फॉर्म जमा करना होगा।

- तीसरे क़िस्त का दावा करने के लिए, लाभुक को बच्चे के जन्म के पंजीकरण तथा एम.सी.पी. कार्ड, जिसमें बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र दर्शाया गया हो, उसके साथ फॉर्म जमा करना होगा।

- यदि पहले से बैंक खाता नहीं है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका, आधार से जुड़ा बैंक खाता खुलवाने में उसकी मदद करेंगी। यदि पहले से ही उसके नाम का खाता है लेकिन बैंक के साथ आधार नंबर नहीं जुड़ा है तो उसे जोड़ने में मदद करेंगी।

आधार की अनिवार्यता :

- तीसरे क़िस्त के लिए लाभुक एवं उसके पति का आधार नंबर अनिवार्य है। तीसरे क़िस्त का लाभ लेने के लिए लाभार्थी एवं उसके पति को आधार का पंजीकरण कराना होगा।

- अगर किसी तरह की वैकल्पिक पहचान पत्र प्रदान किया जाता है तो योजना के अंतर्गत पंजीकरण के 90 दिन के अंदर आधार के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

नोटः लाभुक अपने आधार कार्ड में अपना नाम पंजीकृत करवाएं और साथ ही यह भी देख लें कि आधार में नाम बैंक खाते के नाम से मिलता हो । यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों दस्तावेज़ों में नाम नहीं मिलने पर किसी भी क़िस्त का भुगतान नहीं होगा ।

पहले क़िस्त के दावे की प्रक्रिया :

- पहले क़िस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र/गांव/अनुमोदित स्वास्थ्य सेवा केंद्र में आवश्यक दस्तावेज़ (फॉर्म 1ए) और जानकारियों के साथ भरा गया फॉर्म जमा करेंगी।

- योजना के अंतर्गत पहले क़िस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी तभी पात्र होंगी जब वे आंगनबाड़ी केंद्र में अथवा सहिया/ए.एन.एम. के यहां एल.एम.पी. तिथि से 5 माह (अर्थात 150 दिन) की समय सीमा के अंदर अपने गर्भधारण का पंजीकरण कराएंगी (एम.सी.पी. कार्ड पर दोनों तिथि का उल्लेख होता है)।

- लाभुक को लाभ राशि के भुगतान का कार्य आंगनबाड़ी केंद्र/गांव/अनुमोदित स्वास्थ्य सेवा केंद्र में पंजीकरण की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाएगा।

- लाभ लेने को इच्छुक महिला आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहिया/ए.एन.एम. को भरे हुए फॉर्म के साथ शर्तों की पूर्ति करने वाले दस्तावेज़ तथा अन्य विवरण जमा करेंगे ।

- आवेदन पत्र तथा अपेक्षित दस्तावेज़ प्राप्त होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहिया/ए.एन.एम. लाभार्थी को योजना के अंतर्गत पंजीकृत करेंगी तथा एक सप्ताह के अंदर सुपरवाईज़र/ए.एन.एम. को विवरण भेजेंगी।

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहिया/ए.एन.एम. से प्राप्त दस्तावेज़ों का सुपरवाईज़र/ए.एन.एम. द्वारा जांच किया जाएगा तथा भुगतान प्रक्रिया एवं ऑनलाईन पंजीकरण के लिए उसे हर सप्ताह संबंधित सी.डी.पी.ओ./एम.ओ. को भेजा जाएगा।

नोटः लाभुक अपने आधार कार्ड में अपना नाम पंजीकृत करवाएं और साथ ही यह भी देख लें कि आधार में नाम बैंक खाते के नाम से मिलता हो । यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों दस्तावेज़ों में नाम नहीं मिलने पर किसी भी क़िस्त का भुगतान नहीं होगा ।

दूसरे क़िस्त के दावे की प्रक्रिया :

- दूसरे क़िस्त का दावा करने के लिए लाभुक आवश्यक दस्तावेज़ (फॉर्म 1बी) के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहिया/ए.एन.एम. को सभी जरुरी जानकारी के साथ भरा गया फॉर्म जमा करेंगी।

- लाभुक अपेक्षित दस्तावेज़ की छाया प्रतियों के साथ शर्तों की पूर्ति का प्रमाण प्रस्तुत करेंगी।

- दावे का पूर्ण फॉर्म तथा अपेक्षित दस्तावेज़ प्राप्त होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहिया/ए.एन.एम. दूसरे क़िस्त के भुगतान की प्रक्रिया हेतु एक सप्ताह के अंदर सुपरवाईज़र/ए.एन.एम. को विवरण भेजेंगी।

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहिया/ए.एन.एम. से प्राप्त दस्तावेज़ों का सुपरवाईज़र/ए.एन.एम. द्वारा संपूर्ण जांच किया जाएगा तथा भुगतान प्रक्रिया के लिए उसे हर सप्ताह संबंधित सी.डी.पी.ओ. / एम.ओ. को भेजा जाएगा।

- लाभुक को मातृत्व लाभ के दूसरे क़िस्त की भुगतान प्रक्रिया, शर्तों की पूर्ति के प्रमाण संबंधित फॉर्म में दावा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी की जाएगी।

नोटः लाभुक अपने आधार कार्ड में अपना नाम पंजीकृत करवाएं और साथ ही यह भी देख लें कि आधार में नाम बैंक खाते के नाम से मिलता हो । यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों दस्तावेज़ो में नाम नहीं मिलने पर किसी भी क़िस्त का भुगतान नहीं होगा ।

तीसरे क़िस्त का दावा करने की प्रक्रिया :

- यदि लाभुक द्वारा पहले आधार नंबर जमा नहीं किया गया है तो इस क़िस्त को प्राप्त करने हेतु लाभुक को अपना और अपने पति का आधार नंबर जमा करना अनिवार्य है ।

- इस क़िस्त का दावा करने के लिए लाभुक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहिया / ए.एन.एम. को सभी आवश्यक जानकारियों के साथ भरा गया फॉर्म (फॉर्म 1सी) , आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करेंगी।

- लाभुक आवश्यक दस्तावेज़ों के फोटोकॉपी के साथ फॉर्म में शर्तों की पूर्ति का प्रमाण प्रस्तुत करेंगी।

- दावे का पूर्ण फॉर्म तथा आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहिया/ ए.एन.एम. तीसरे क़िस्त के भुगतान की प्रक्रिया हेतु एक सप्ताह के अंदर सुपरवाईज़र/ ए.एन.एम. को विवरण भेजेंगी।

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहिया/ ए.एन.एम. से प्राप्त दस्तावेज़ का सुपरवाईज़र/ ए.एन.एम. द्वारा सम्पूर्ण जांच की जाएगी तथा भुगतान प्रक्रिया के लिए उसे हर सप्ताह संबंधित सी.डी.पी.ओ./ एम.ओ. को भेजा जाएगा।

नोटः लाभुक अपने आधार कार्ड में अपना नाम पंजीकृत करवाएं और साथ ही यह भी देख लें कि आधार में नाम बैंक खाते के नाम से मिलता हो । यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों दस्तावेज़ों में नाम नहीं मिलने पर किसी भी क़िस्त का भुगतान नहीं होगा ।

निर्धारित समय के अंदर पंजीकरण नहीं करा पाने या दावा प्रस्तुत नहीं कर पाने पर मातृत्व लाभ मिलने का प्रावधान :

क़िस्तों का दावा एक दूसरे पर निर्भर नहीं है बल्कि स्वतंत्र रूप से अलग–अलग भी पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का दावा किया जा सकता है। लाभुक को चाहिए कि वह योजना के अंतर्गत लाभ का समुचित रूप से उपयोग करने के लिए शर्तों की पूर्ति के बाद आवेदन करें। यदि लाभुक ने योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है परंतु निर्धारित समय के अंदर पंजीकरण नहीं करा पायी हैं या दावा प्रस्तुत नहीं कर पायी हैं तो निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है :

- लाभुक किसी भी समय, गर्भधारण के अधिकतम 730 दिन के अंदर, आवेदन कर सकती हैं, भले ही उन्होंने पहले किसी क़िस्त के लिए दावा नहीं किया हो। एम.सी.पी. कार्ड में दर्ज एल.एम.पी. की तिथि इस संबंध में विचार के लिए गर्भधारण की तिथि होगी। गर्भधारण के 730 दिन बाद योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

- ऐसे मामले में जहां एम.सी.पी. कार्ड में एल.एम.पी. तिथि दर्ज नहीं है एवं लाभुक योजना के अंतर्गत तीसरे क़िस्त का दावा करने के लिए आ रहीं है तो ऐसे में दावा बच्चे के जन्म तिथि से 460 दिन के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा इस अवधि के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रोत्साहन राशि तथा भुगतान की शर्तें :

- लाभुक, शर्तों की पूर्ति के बाद, तीन क़िस्तों में कुल 5,000 रुपये का नगद प्रोत्साहन प्राप्त करेंगी।

- भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में होगा न कि पति / परिवार के सदस्य के खाते / संयुक्त खाते में जमा किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत तीन क़िस्त के लिए शर्तें इस प्रकार हैं :

किस्त	शर्तें	आवश्यक दस्तावेज़	लाभ राशि
पहली किस्त	महिला अपनी गर्भावस्था को एम.सी.पी. कार्ड में पंजीकृत करवाएं, सारे आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ। यह प्रक्रिया एल.एम.पी. तिथि से 150 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है । एम.सी.पी. कार्ड में पंजीकरण का प्रमाण स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी/पदाधिकारी जिसका रैंक ए.एन.एम. से कम न हो, के द्वारा विधिवत रुप से प्रमाणित हो।	– पूर्ण रूप से भरा आवेदन फॉर्म 1ए – एम.सी.पी. कार्ड की प्रति – पहचान प्रमाण की प्रति – बैंक/डाकघर खाता के पासबुक की प्रति	**1,000 रु.**
दूसरी किस्त	कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच (ए.एन.सी.) हो। यह प्रक्रिया एम.सी.पी. कार्ड में दर्ज हो जो विभाग के किसी अधिकारी/पदाधिकारी जिसका रैंक ए.एन.एम. से कम न हो, के द्वारा विधिवत रुप से प्रमाणित हो। दूसरी किस्त का दावा गर्भधारण के 180 दिनों के अंदर किया जा सकता है।	– पूर्ण रूप से भरा आवेदन फॉर्म 1बी – एम.सी.पी. कार्ड की प्रति	**2,000 रु.**
तीसरी किस्त	बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराया हो। किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। बच्चे ने टीकाकरण का पहला चक्र (सी.जी., ओ.पी.वी., डी.पी.टी., एवं हेपाटाईटिस बी) प्राप्त कर लिया हो। यह प्रक्रिया एम.सी.पी. कार्ड में दर्ज हो जो विभाग के किसी अधिकारी/पदाधिकारी जिसका रैंक ए.एन.एम. से कम न हो, के द्वारा विधिवत रुप से प्रमाणित हो। तीसरी किस्त का भुगतान करने के लिए आधार अनिवार्य है सभी राज्यों में (जम्मू और कश्मीर, असम एवं मेघालय के अलावा)।	– पूर्ण रूप से भरा आवेदन फॉर्म 1सी – एम.सी.पी. कार्ड की प्रति – आधार की प्रति – बच्चे के जन्म पंजीकरण कि प्रति	**2,000 रु.**

कुछ अन्य ज़रुरी बातें :

- यदि लाभुक तीसरी क़िस्त के लिए शर्तों को पूरा करती हैं परंतु शिशु छह माह से अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है तो उसे तीसरी क़िस्त दी जाएगी।

- यदि लाभुक एक बार में दो या उससे अधिक बच्चों को जन्म देती हैं तो इसे परिवार में पहला जीवित जन्म के रूप में माना जाएगा।

- यदि किसी कारण से लाभुक अपने ही राज्य में या दो राज्यों के बीच एक जगह से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं तो निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में आधार नंबर एवं एम.सी.पी. कार्ड प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक क़िस्तों के लिए शर्तों की पूर्ति के बाद, शेष लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

- लाभार्थी द्वारा फ़र्ज़ी दावे के मामले में उसे भुगतान की गई राशि वसूल की जाएगी तथा ऐसा न होने पर उस पर कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन : चुनौतियां एवं समाधान के सुझाव

योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- स्थानीय एवं सामाजिक स्तर पर जानकारी का अभाव।
- योजना में पति–पत्नी के आधार कार्ड की एवं बैंक अकाउंट के होने की अनिवार्यता के कारण लाभार्थियों को परेशानी।
- तीन किश्तों में योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रपत्रों को भरने की जटिल प्रक्रिया से गुज़रना।
- योजना को लागू करने के लिए निचले स्तर में आंगनबाड़ी सेविकाओं में दक्षता कि कमी।
- अभी भी निचले स्तर में पारदर्शिता एवं जवाबदेही कि कमी।

हम क्या कर सकते हैं :

- स्थानीय एवं सामाजिक स्तर में बैठकों में मातृत्व हक को लेकर चर्चा करना, योजना के विषय में जानकारी देना एवं जागरूकता लाना।
- योजना के ज़मीनी स्तर में क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों एवं कमियों के बारे में प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक के सम्बंधित विभागों को अवगत कराना।
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने में आ रही कठिनाइयों का निवारण करने में सहयोग करना जैसे कि आंगनबाड़ी सेविका को प्रपत्र भरने में सहयोग करना, लाभार्थी का बैंक अकाउंट खुलवाने की प्रक्रिया या आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में सहयोग करना, इत्यादी।
- लाभार्थी को तीनो किस्तों में समय पर भुगतान न होने के सम्बन्ध में शिकायत निवारण प्रक्रिया में सहयोग करना।
- कानून के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रक्रिया में शिकायतों के चरणवद आवेदन में सहयोग करना।